

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2013—पौष 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. ए. 6-68-2010-1-पांच (56).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-6-68-2010-1-पांच (44), दिनांक 30 अप्रैल, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1.	अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग-1	इन्दौर संभाग-1	इन्दौर संभाग-1 की अधिकारिता में आने वाले वृत्तों में समाविष्ट क्षेत्र तथा एल. टी. यू. के सहायक आयुक्त द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपील.	इन्दौर”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. ए. 6-68-2010-1-पांच (56).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 6-68-2010-1-पांच (56), दिनांक 30 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 30th December 2013

No. F-A-6-68-2010-1-V (56).—In exercise of the powers conferred by Section 3-A read with sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-6-68-2010-1-V (44), dated 30th April, 2011 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Appellate Deputy Commissioner of Commercial Tax, Indore Division-1.	Indore Division-1	Area comprising of circles falling under the jurisdiction of Indore Division-1 and Appeal against assessment order passed by Assistant Commissioner of LTU.	Indore."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.